न्यायालय उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर/उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बेगूँ

FORM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत .... मुकाम ....

.... बनाम ....

करम मुकदमा .... नं. .... सन्. ....

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
29-9-25	प्रा.पत्र अ.धा. 251 पु. R.T.A का वकील श्री अशोक शर्मा के द्वारा पेश किया प्रा.पत्र बाद जाँच दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये सम्मन से तलब किया जावे/पत्रावली मे रास्ते के सम्बन्ध मे पत्र जारी कर रिपोर्ट चाही जावे/ पत्रावली वास्ते पालना/तलबी मे दिनांक 14.10.25 को पेश हो।	
14.10.25	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित प्रकरण मे रास्ते के सम्बन्ध मे पूर्व मे मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। पत्रावली मे प्राप्त रिपोर्ट श्रीमान जिला कलेक्टर महो. को अनुमोदार्थ प्रेषित कि गई, पत्रावली दिनांक 27.10.25 को पेश हो। पुनश्च:- इतना लिखने पर तहसीलदार बेगू ने जवाब प्रा.पत्र पेश किया व श्रीमान जिला कलेक्टर महो. चित्तौड़गढ़ से ई-मेल के जरिये श्रीमान के पत्र क्र.स./राजस्व/12-12 (40) 2025/05949/1634 दिनांक 10-10-2025 से रास्ते के सम्बन्ध मे अनुमोदन प्राप्त हुआ। जिस पर वकील प्रार्थी ने आज ही बहस सुनाये जाने का निवेदन करने पर बहस सुनी गई. प्रार्थीया का प्रा.पत्र अ.धा. 251 पु. R.T.A का स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखवा जाकर शामील पत्रावली किया गया पत्रावली मे आदेश कि पालना मे आदेश कि प्रति तहसीलदार बेगू को दि जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	सूचित हुआ [illegible] प्राप्त की

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चित्तौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :— 48 / 2025

सुलोचना चुण्डावत पत्नी विक्रमसिंह जाति राजपूत (राठौड) निवासी जवाहर नगर भीलवाडा जिला भीलवाडा प्रार्थीया

बनाम

श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदारा साहब बेगूं तहसील कार्यालय, बेगूं जिला चित्तौडगढ़ विपक्षी

उपस्थित :— श्री अशोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थीया
श्री तहसीलदार बेगूं
पैरोकार सरकार विपक्षी

आदेश दिनांक :— 14.10.2025

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र इस प्रकार से है कि ग्राम मौजा लाडपुरा प.ह. बाघपुरा तहसील बेगूं में प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात निम्न स्थित है, जिसकी तफसील निम्न प्रकार है:—

खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में
9	215	0.9790
	216	0.7930
	कीता—2 कुल रकबा	1.7720 हैक्टर

यह कि उक्त प्रार्थना पत्र की चरण संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि पर आने जाने के लिये सरकारी आराजी संख्या 211 रकबा 17.0060 हैक्टर के बीच मे से जो भूमि विपक्षीगण के नाम पर दर्ज रेकार्ड है के समीप डोराई से बाघपुरा आने जाने वाली डामरी सडक से पूर्व से पश्चिम दिशा से होकर विपक्षी की सरकारी आराजी संख्या 211 रकबा 17.0060 हैक्टर मे से होकर प्रार्थीया की अपनी आराजीयात पर आने जाने के लिये उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थीया के पास प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित आराजी संख्या 215, 216 कुल कीता 2 कुल रकबा 1.7720 हैक्टर पर आने जाने के लिये नहीं है।

यह कि मौजा लाडपुरा प.ह. बाघपुरा तहसील बेगूं मे प्रार्थीया की अपनी खातेदारी की कृषि आराजी संख्या 215, 216 कुल कीता 2 रकबा 1.7720 हैक्टर , विपक्षी की सरकारी आराजी संख्या 211 रकबा 17.0060 हैक्टर से पूर्व से पश्चिम दिशा में 30 फीट चौडा रास्ते से प्रार्थीया की प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी संख्या 215, 216 कुल कीता 2 कुल रकबा 1.7720 हैक्टर मे पहुंचता है, लेकिन विपक्षी के अधिनस्थ कर्मचारियो द्वारा आ जाने से प्रार्थीया के उक्त कदीमी पैत्रिक रास्ते को मौके पर बंद करना चाहते है।

प्रार्थीया ने विपक्षी के अधिनस्थ कर्मचारियो को रास्ता बंद नहीं करने बाबत कहा तो उक्त विपक्षी के अधिनस्थ कर्मचारियो ने लोक सेवक होने के कारण कहा कि सरकारी भूमि में आपको निकलने एवं रास्ता निकालने का कोई अधिकार नहीं है। सरकारी भूमि में रास्ता निकालने के लिये आपको नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करनी पडेगी । प्रार्थीया मौके पर बने हुए अर्सा कदीमी पैत्रिक रास्तें से निकलने लगी तो विपक्षी के अधिनस्थ कर्मचारियो ने मौके पर निकलने से आनाकानी करने लग गये तथा प्रार्थीया गरीब काश्तकार होरक बाल बच्चेदार है इसलिये उक्त अर्सा कदीमी 30 फीट चौडे रास्ते को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कराया जाना एवं मौके पर पूर्वानुसार रास्ते को खुलाये जाने बाबत प्रार्थीया नियमानुसार राजस्व शुल्क भी जमा कराने को तैयार एवं तत्पर है। प्रार्थीया के पास अपनी प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि आराजीयात पर आने जाने के लिये उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है न ही अन्य कोई सुगम एवं कम दूरी का रास्ता स्थित है इसलिये प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र वर्णित आराजीयात पर आने जाने के लिये उक्त रास्ते को राजस्व रेकार्ड के नक्शे में दर्ज रेकार्ड कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है क्यो कि वर्तमान में कृषि कार्य का अहम समय चल रहा है एवं प्रार्थीया अपनी खातेदारी की कृषि आराजीयात पर आ जा नहीं पा रही है जिससे प्रार्थीया उक्त खातेदारी की कृषि आराजीह की समय पर देखरेख एव कृषि कार्य नहीं कर पा रही है जिससे प्रार्थीया को कृषि कार्य करने एवं आराजी पर आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है यदि उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड के नक्शे में दर्ज नहीं किया गया तो प्रार्थीया अपने

खातेदारी हक अधिकारो से महरूम हो जायेगी इसके विपरीत विपक्षी कों उक्त रास्ते को पूर्वानुसार खोले जाने से उन्हे किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी क्यो कि प्रार्थीया नियमानुसार धारा 251 क रा.टि.एक्ट की शर्तो की पालना करने को तेयार एवं तत्पर है। एवं सरकारी शुल्क भी जमा कराने को तैयार है।

यह कि प्रार्थीया दिनांक 15.09.2025 को उक्त अर्सा कदीमी पैत्रिक रास्ते से होकर निकलने लगी तो विपक्षी के अधिनस्थ कर्मचारियो ने उक्त रास्ते से निकलने बाबत आनाकानी करने लग गये और नियमानुसार रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने की कार्यवाही कराने की कहने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है।

यह कि प्रार्थीया उक्त रास्ते को घोषित कराने के वैद्य अधिकारी है इसके लिये प्रार्थीया नियमानुसार व माननीय न्यायालय श्रीमान के आदेशानुसार धारा 251 क राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की समस्त शर्तो की पालना करने को तैयार एवं तत्पर है। विपक्षी के अधिनस्थ कर्मचारियो के द्वारा रास्ते से निकलने से मना कर देने से यह प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान आप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक मे अंकित प्रार्थीया की खातेदारी की कृषि आराजी संख्या 215, 216 कुल कीता–2 कुल रकबा 1.7720 हैक्टर पर पहूंचने के लिये ग्राम डोराई से बाघपुरा जाने वाली मुख्य सडक के समीप स्थित विपक्षी की आराजी संख्या 211 रकबा 17.0060 हैक्टश्र भूमि के बीच मे पूर्व से पश्चिम दिशा मे से आ जा रही थी उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीया के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

यह कि प्रार्थीया प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित अपाने खातेदारी की एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजी संख्या 215, 216 कीता–2 कुल रकबा 1.7720 हैक्टर पर विपक्षी की आराजी संख्या 211 रकबा 17.0060 हैक्टर के बीच में पूर्व से पश्चिम दिशा के 30 फीट चौडा रास्ता से अपनी प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी संख्या 215, 216 कुल कीता 2 कुल रकबा 1.7720 हैक्टर पर पहूंचती है और इसी रास्ते से प्रार्थीया पैत्रिक अर्सा कदीमी रूप से आ जा रही है एवं प्रार्थीया के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिये विपक्षी के अधिनस्थ कर्मचारियो के द्वारा उक्त रास्ते से निकलने से आनाकानी करने से प्रार्थीया के द्वारा यह प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान मे प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है।

यह कि अगर प्रार्थीया के पक्ष मे उक्त रास्ता घोषित नहीं यिका जाता है तो प्रार्थीया अपनी कृषि आराजीयात पर आ जा नहीं पायेगी एवं काश्त नहीं हो सकेगी तथा अपने खातेदारी हक अधिकारो से महरूम हो जायेगी। प्रार्थीया के परिवार को भूखे करने की नौबत आ जायेगी। प्रार्थीया की आजीविका का मुख्य साधन खेतजी है और प्रार्थीया को भारी आर्थिक अपूर्णीय क्षति होगी इसके विपरीत उक्त विपक्षी को कोई राजस्व नुकसान नहीं होगा, क्यो कि प्रार्थीया धारा 251 क रा.टि.एक्ट की समस्त शर्तो की पालना कर सरकार मुआवजा जमा कराने को तैयार एवं तत्पर है। यदि प्रार्थीया के द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित रास्ता को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद नहीं किया जाता है तो प्रार्थीया एवं विपक्षी के मध्य आवश्यक मुकदमे बाजी बढेगी।

यह कि प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि भूमि ग्राम लाडपुरा प.ह. बाघपुरा तहसील बेगूँ में स्थित होने से प्रार्थना पत्र की सुनवाई का क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय श्रीमान आपको प्राप्त है। माननीय भूमिधारी तहसीलदार साहब बेगूँ लैण्ड होल्डर होने से विपक्षी के रूप में पक्षकार बनाये गये है।

अतः न्यायलाय श्रीमान आप से प्रार्थना है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मौजा लाडपुरा प.ह. बाघपुरा तहसील बेगूँ में प्रार्थीया की प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी संख्या 215, 216 में आने जाने के लिये विपखी की आराजी संख्या 211 के बीच में मौके पर विद्यमान रास्ते अनुसार पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 30 फीट चौडा रास्ता 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत विपक्षी की आराजी ग्राम लाडपुरा प.ह. बाघपुरा तहसील बेगूँ में स्थित आराजी संख्या 211 रकबा 17.0060 हैक्टर के बीच पूर्व से पश्चिम दिशा से प्रदत्त करवाया जावें। प्रार्थीया नियमानुसार इस हेतु विपक्षी को सरकार मुआवजा शुल्क जमा कराने को तेयार है। इस हेतु आवेदन के साथ आवश्यक जमाबंदीया व नक्शाट्रेस भी संलग्न है।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी भूमिधारी तहसीलदार बेगूँ को तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार बेगूँ न्यायालय मे उपस्थित आए तथा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में प्रार्थीया द्वारा चाहे जा रहे रास्ता के सम्बन्ध में न्यायलय द्वारा जरिये पत्र कमांक 671 दिनांक 29.09.2025 से रास्ते के सम्बन्ध में रिपोर्ट तलब किये जाने हेतु लिखा गया। जिसकी पालना में तहसीलदार बेगूँ द्वारा उनके पत्रांक 857 दिनांक 06.10.2025 के साथ रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक वृत डोराई , नक्शाट्रेस , मौका पर्चा रिपोर्ट संलग्न प्राप्त हुई। प्राप्त रास्ते की रिपोर्ट में तहसीलदार बेगूँ द्वारा निम्नांकित बिन्दुओ पर रिपोर्ट भिजवाई गई है :–

1– प्रार्थीया को रास्ते की अत्याधिक आवश्यकता है।

2– प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि पर आने जाने के लिए निकटतम रास्ता आराजी संख्या 211 रकबा 17.0060 हैक्टर किस्म चारागाह में 30 फीट चौडा जिसका रकबा 0.08 हैक्टर बनता है दिलवाया जा सकता है। वर्तमान में यहा ग्रेवल सडक बनी हुई है एवं प्रार्थीया इसी से आती जाती है तथा इसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

3– प्रस्तावित रास्ता का क्षेत्रफल 0.08 हैक्टर होगा जो खसरा संख्या 211 कुल रकबा 17.0060 हैक्टर किस्म चारागाह मे से होकर जायेगा जिसे संलग्न नक्शाट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है।

4– राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र कमांक /प.10(03) राज–6/2001/27 दिनांक 14.08.2025 अनुसार रास्ते के क्षेत्रफल के बराबर स्वयं की चारागाह के लगती हुई खातेदारी भूमि को चारागाह हेतु समर्पित किया जाना होता है जिसके लिए प्रार्थीया द्वारा चारागह के आराजी संख्या 205, 206 के लगती हुई खातेदारी आरजी संख्या 215 रकबा 0.979 हैक्टर किस्म बीड मे से रास्ते के बराबर 0.08 हैक्टर भूमि चारागाह हेतु समर्पित की जा रही है। समर्पित भूमि को संलग्न नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है।

5– आराजी संख्या 211 मे रास्ता दर्ज करने में कोई सार्वजनिक आपत्ति नहीं है एवं खसरा संख्या 211 चारागाह की शेष भूमि भी चारागाह के लिए उपयुक्त रहेगी।

प्राप्त रिपोर्ट के सम्बन्ध मे विपक्षी तहसीलदार बेगूं द्वारा रिपोर्ट अनुसार ही जवाब प्रस्तुत किये जाने का निवेदन न्यायालय के समक्ष किया गया।

प्रार्थना पत्र 251 क आर.टी.एक्ट पर बहस उभयपक्ष की सुनी गई। पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदीयात का अवलोन किया गया प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि आराजी मौजा लाडपुरा प.ह. बाघपुरा की आराजी संख्या 215, 216 कीता–2 कुल रकबा 1.7720 हैक्टर भूमि की खातेदार प्रार्थीया सुलोचना चुण्डावत पत्नि विक्रमसिंह हिस्सा पूर्ण जाति राजपूत सा. जवाहरनगर भीलवाडा के खातेदारी में दर्ज है। तथा प्रार्थीया जिस सरकारी भूमि मौजा लाडपुरा की आराजी संख्या 211 रकबा 17.0060 हैक्टर भूमि से अपनी कृषि आराजी में आने जाने हेतु रास्ते हेतु भूमि चाहती है उक्त आराजी संख्या 211 की भूमि चारागाह की भूमि हैं। हालॉकि चारागाह भूमि के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत को भी पक्षकार बनाया जाना चाहिए था, लेकिन राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र कमांक/प.10(03) राज–6/2001/27 दिनांक 14.08.2025 अनुसार रास्ते के क्षेत्रफल के बराबर स्वयं की चारागाह के लगती हुई खातेदारी भूमि को चारागाह हेतु समर्पित किया जाना होता है, के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए तथा प्रार्थीया द्वारा अपने खातेदारी की भूमि को चारागाह भूमि जो रास्ते में आ रही है उसके बराबर भूमि खातेदारी भूमि से चारागाह हेतु समर्पित किये जाने की सहमति होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीया के खातेदारी की कृषि आराजीयात मौजा लाडपुरा प.ह. बाघपुरा की आराजी संख्या 215, 216 कीता–2 कुल रकबा 1.7720 हैक्टर भूमि पर आने जाने हेतु ग्राम लाडपुरा प.ह. बाघपुरा की आराजी संख्या 211 रकबा 17.0060 हैक्टर किस्म चारागाह भूमि में से सार्वजनिक रास्ते हेतु क्षेत्रफल 0.08 हैक्टर भूमि को राजस्व रिकोर्ड एवं नक्शे में सार्वजनिक रास्ता दर्ज किया जाने के लिए राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र कमांक/प.10(03) राज–6/2001/27 दिनांक 14.08.2025 अनुसार रास्ते के क्षेत्रफल के बराबर प्रार्थीया द्वारा अपने खातेदारी की आराजी संख्या 215 रकबा 0.979 हैक्टर भूमि मे से 0.08 हैक्टर भूमि चारागाह हेतु समर्पित किये जाने पर ही मौजा लाडपुरा प.ह. बाघपुरा की आराजी संख्या 211 रकबा 17.0060 हैक्टर किस्म चारागाह भूमि में से सार्वजनिक रास्ते हेतु क्षेत्रफल 0.08 हैक्टर भूमि को सार्वजनिक रास्ते हेतु दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति तहसीलदार बेगूं को पालनार्थ दी जाती है।

आदेश आज दिनांक 14.10.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं

क्रमांक/सरिश्ता/2025/779 दिनांक :–16/10/25

व अनवान सुलोचना चुण्डावत बनाम भूमिधारी प्रार्थना पत्र अ0धा0 251 क प्रार्थना पत्र संख्या 48/2025 राज0काश्त0अधि0 में न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बेगूं को दी जाती है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं